R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 1
जुलाई 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री की स्थापना

भारत सरकार ने केंद्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के रूप में कार्य करने और इसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) को प्राधिकृत किया है। सभी विनियमित संस्थाएं (आरई) केवाईसी जानकारी प्राप्त करेंगी जिन्हें 'व्यक्तियों' और 'विधिक संस्थाओं' के लिए यथानिर्धारित तरीके में केंद्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ साझा किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 जुलाई 2016 को अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंड, 2016 में निम्नानुसार संशोधन किया है:

i. सीकेवाईसीआर का 'लाइव रन' 15 जुलाई 2016 से चरणबद्ध तरीके में शुरू हो गया है।

ii. पहले चरण में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) 15 जुलाई 2016 या इसके बाद खोले गए नए वैयक्तिक खातों के संबंध में सीईआरएसएआई में केवाईसी अपलोड करें।

iii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को छोड़कर विनियमित संस्थाएं भी 15 जुलाई 2016 से सीकेवाईसीआर के लाइव रन में भाग ले सकती हैं।

iv. विनियमित संस्थाएं जो तत्काल सीकेवाईसीआर में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, वे नए वैयक्तिक खातों के संबंध में केवाईसी आंकड़ों को अपलोड करने के लिए अपनी प्रणालियों को तैयार करने के लिए कदम उठाएंगी जिससे कि केवाईसी आंकड़ों को अपलोड करने का कार्य समयबद्ध तरीके से शीघ्रताशीघ्र पूरा हो सके।

v. विनियमित संस्थाएं मौजूदा वैयक्तिक खातों के मामले में आंकड़े अपलोड करने की योजना बनाएंगी और इन्हें अपनी केवाईसी नीति में शामिल करेंगी।

vi. केवाईसी आंकड़ों को अपलोड करने के लिए सीईआरएसएआई द्वारा परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित संस्थाओं के उपयोग के लिए सीईआरएसएआई द्वारा 'परीक्षण परिवेश' भी उपलब्ध कराया गया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10498&Mode=0)

चलनिधि मानकों पर बासेल III ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2016 को निर्णय लिया है कि पिछली सीमाओं के अतिरिक्त, बैंकों को अनुमति होगी कि वे अपने चलनिधि कवरेज़ अनुपात (एससीआर) के परिकलन के प्रयोजन से अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के अंदर चलनिधि कवरेज़ अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) के अंतर्गत उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों की गणना अपनी निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के अन्य 1 प्रतिशत तक स्तर 1 की उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में करें। इस प्रकार, बैंकों के पास उपलब्ध एसएलआर से प्राप्त कुल राशि उनकी एनडीटीएल की 11 प्रतिशत होगी। इस प्रयोजन से बैंक ऐसी परिगणित सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता में अपनी वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक राशि नहीं रखना जारी रखें चाहे प्रतिभूति धारण करने की श्रेणी कोई भी हो अर्थात बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) या परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)।

वर्तमान में बैंकों की एलसीआर के परिकलन के प्रयोजन से स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में अनुमेय आस्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ वे सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं जो एसएलआर की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक हैं और अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के अंदर हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा (वर्तमान में बैंक की एनडीटीएल की 2 प्रतिशत) और एफएएलएलसीआर (वर्तमान में बैंक की एनडीटीएल की 8 प्रतिशत) के अंतर्गत अनुमेय की सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10522Mode=0)

बैंकों के राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश

प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2016 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि वे सहानुभूति से कार्य करें और जिन मामलों में दावों की प्राप्ति की उचित संभावना है वहां बीमा दावों की प्राप्ति का इंतजार किए बिना ऋणों की पुनर्संरचना और नए ऋण प्रदान करने पर विचार करें। यह निर्णय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में ऋणों की पुनर्संरचना में वर्तमान मुद्दों को देखते हुए लिया गया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10468Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग

एशियाई समाशोधन यूनियन के अंतर्गत निपटान प्रणाली

चूंकि एसीयू यूरो लेनदेन की प्रोसेसिंग के लिए भुगतान चैनल की समीक्षा की जा रही है, रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2016 को राय दी है कि 1 जुलाई 2016 से 'एसीयू यूरो' में परिचालनों को अस्थायी रूप से बंद करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, सभी पात्र चालू खाता लेनदेन जिनमें 'यूरो' में ट्रेड लेनदेन शामिल हैं, को अगला नोटिस आने तक एसीयू व्यवस्था से बाहर निपटाए जाने की अनुमति दी गई है।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री की स्थापना	1
चलनिधि मानकों पर बासेल III ढांचा	1
बैंकों के राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश	1
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
एशियाई समाशोधन यूनियन के अंतर्गत निपटान प्रणाली	1
वित्तीय बाजार विनियमन	
डीमेट खाताधारकों की एनडीएस-ओएम में पहुंच	2
विदेशी मुद्रा विभाग	
सेवा आयात की बैंक गारंटी की रिपोर्टिंग बंद	2
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) अनुमोदन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया	2
मुद्रा प्रबंधन	
गंदे/कटे-फटे/सदोष नोटों को बदलना	2
भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित कार्यालयों में 2005 के पहले के बैंकनोटों का विनिमय	2
वित्तीय समावेशन और विकास	
फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा	3
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को एमएफआई द्वारा दिए गए ऋण की सीमा दोगुनी हुई	3
सहकारी बैंककारी विनियमन	
नियंत्रण कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकार जारी करना	3
दीर्घावधि (अधीनस्थ) जमाराशियों की समीक्षा	3
राज्य सहकारी बैंकों / केंद्र सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश	3
पीएमजेजेबीवाई में संशोधन	4
मास्टर परिपत्र/निदेश	4

ऐसा पूर्व व्यवस्था के अनुसार किया गया है जिसमें एसीयू व्यवस्था के सहभागियों के पास अपने लेनदेन एसीयू डॉलर और एसीयू यूरो में निपटाने का विकल्प था। मूल्य में 'एसीयू डॉलर' और 'एसीयू यूरो' क्रमशः एक अमेरिकी डॉलर और एक यूरो के बराबर है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10473Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

डीमेट खाताधारकों की एनडीएस–ओएम में पहुंच

यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के डीमेट खाताधारकों को अपने–अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) बैंक के माध्यम से तयशुदा लेनदेन प्रणाली–आर्डर मिलान (एनडीएस–ओएम) मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने की अनुमति दी जाए। निक्षेपागार सहभागी सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) खाताधारक हो तथा एनडीएस–ओएम तथा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का प्रत्यक्ष सदस्य हो।

रिज़र्व बैंक ने 28 जुलाई 2016 को सीसीआईएल को सूचित किया है कि वे निक्षेपागारों जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्था करें जिससे कि डीमेट खाताधारक एनडीएस–ओएम पर कारोबार कर सकें।

यह निर्णय सभी स्टेकधारकों के प्रतिनिधित्व वाले समूह की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है जिस समूह ने सहायक सामान्य खाता बही स्वरूप से डीमेट स्वरूप और डीमेट स्वरूप से सहायक सामान्य खाता बही स्वरूप में प्रतिभूतियों के निर्बाध संचलन और डीमेट खाताधारकों को एनडीएस–ओएम पर कारोबार करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विशिष्ट उपाय करने की सिफारिश की थी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/Notific ationUseraspx?Id=10533Mode=0)

विदेशी मुद्रा विभाग

सेवा आयात की बैंक गारंटी की रिपोर्टिंग बंद

रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की समीक्षा करने और एडी श्रेणी I बैंकों के अनुपालन का बोझ कम करने के लिए, 7 जुलाई 2016 से एडी श्रेणी I बैंकों के लिए सेवा आयात की बैंक गारंटी की मांग के ब्यौरों के बारे में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, वे इन मांगों के रिकार्ड को अनुरक्षित कर सकते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं।

एडी श्रेणी I बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे कतिपय शर्तों के अधीन अपने निवासी ग्राहकों की आयात सेवाओं की ओर से अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में गारंटी जारी कर सकते हैं। एडी श्रेणी I बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे सेवा आयातों के लिए बैंक गारंटी की मांग किए जाने संबंधी ब्यौरों के बारे में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी फिर भी उपलब्ध है। वेश प्रभाग (ईपीडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को रिपोर्ट करें। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10489Mode=0)

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) अनुमोदन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया

अनुमोदन देने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने और तेज करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2016 को निर्णय लिया है कि रिज़र्व बैंक में प्राप्त होने वाले एक निश्चित थ्रेशोल्ड सीमा (समय–समय पर पुनः निर्धारित) से ऊपर के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के प्रस्तावों को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रिज़र्व बैंक उच्चाधिकारप्राप्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इन मामलों में अंतिम निर्णय लेगा।

इससे पहले, अनुमोदन माध्यम से आने वाले सभी ईसीबी मामलों के लिए स्थापित मानदंडों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित था। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10472Mode=0)

मुद्रा प्रबंधन

गंदे/कटे–फटे/सदोष नोटों को बदलना

ग्राहक सेवा में सुधार लाने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रिजर्व बैंक ने 14 जुलाई 2016 को नामित और गैर चेस्ट बैंक शाखाओं में नोट वापसी नियम, 2009 के तहत कटे–फटे/सदोष नोटों को बदलने की सुविधा की प्रक्रिया संशोधित की :

गंदे नोटों को बदलना

i) छोटी संख्या में प्रस्तुत नोट : जहां एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नोटों की संख्या प्रति दिन अधिकतम मूल्य ₹ 5000 के साथ 20 तक हो, बैंकों को काउंटर पर उनका विनिमय निःशुल्क करना चाहिए।

ii) थोक में प्रस्तुत नोट : जहां एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नोटों की संख्या प्रति दिन 20 और मूल्य ₹ 5000 से अधिक है, बैंक उन्हें रसीद के खिलाफ स्वीकार कर सकते हैं और मूल्य बाद में जमा किया जा सकता है। बैंकों में ग्राहक सेवा पर उपलब्ध मास्टर परिपत्र के अनुसार अनुमत सेवा शुल्क बैंक वसूल सकता है। अगर प्रस्तुत मूल्य ₹ 50000 से अधिक हो तो बैंकों द्वारा सामान्य सावधानी बरती जाए।

कटे–फटे और सदोष नोटों का विनिमय

जहां नामित शाखाएं कटे–फटे और सदोष नोटों के विनिमय के लिए प्रक्रिया का पालन और अधिनिर्णय के लिए प्रस्तुत नोटों के लिए रसीद प्रदान करना जारी रख सकती हैं, गैर–चेस्ट शाखाओं को छोटी संख्या और थोक में प्रस्तुत नोटों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

i) छोटी संख्या में प्रस्तुत नोट : जहां एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नोटों की संख्या प्रति दिन 5 तक है, गैर चेस्ट शाखाओं को सामान्य रूप से नोटों का अधिनिर्णय करके काउंटर पर विनिमय मूल्य का भुगतान करना चाहिए। गैर चेस्ट शाखाएं कटे–फटे नोटों पर अधिनिर्णय करने में सक्षम नहीं हैं, तो प्राप्त नोटों के लिए एक रसीद देते हुए नोटों को अधिनिर्णय के लिए संबद्ध करेंसी चेस्ट शाखा के पास भेजा जा सकता है। नोट प्राप्त होते ही भुगतान की संभावित तिथि निविदाकर्ताओं को सूचित की जानी चाहिए और वह 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विनिमय मूल्य जमा करने के लिए निविदाकर्ताओं से बैंक खाते के विवरण प्राप्त किये जाएं।

ii) थोक में प्रस्तुत नोट : जहां एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नोटों की संख्या 5 से अधिक किंतु मूल्य ₹ 5000 से अधिक नहीं है, वहां निविदाकर्ता को अपने बैंक खाते के विवरण (खाता संख्या,शाखा का नाम, आईएफएससी आदि) सहित बीमाकृत डाक द्वारा पास के करेंसी चेस्ट शाखा में ऐसे नोटों को भेजने या उन्हें व्यक्तिगत रूप में बदलने की सलाह दी जानी चाहिए। अन्य सभी व्यक्तियों को जिनके द्वारा प्रस्तुत कटे–फटे नोटों का मूल्य ₹ 5000 से अधिक हो को पास के करेंसी चेस्ट शाखा से संपर्क करने की सलाह दी जानी चाहिए। करेंसी चेस्ट को बीमाकृत डाक के माध्यम से प्राप्त कटे–फटे नोटों का विनिमय मूल्य नोटों की शाखाओं में प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके खाते में जमा करना चाहिए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10506Mode=0)

भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित कार्यालयों में 2005 के पहले के बैंकनोटों का विनिमय

रिजर्व बैंक ने यह देखा है कि 2005 से पहले के बैंकनोटों का एक बड़ा हिस्सा प्रचलन से वापस ले लिया गया है और इन नोटों का केवल एक छोटा सा प्रतिशत परिचालन में है। इसलिए, समीक्षा करने पर रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2016 से 2005 के पहले के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के केवल निम्नलिखित कार्यालयों उपलब्ध होगी– अहमदाबाद, बेंगलुरू, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ , चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि।

रिजर्व बैंक ने बाद में यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों से जमा के लिए 2005 के पहले के बैंकनोट प्राप्त करना जारी रखें क्योंकि वह वैध मुद्रा है। बैंक हमेशा की तरह ऐसे नोटों को पुन: जारी न करें बल्कि उन्हें करेंसी चेस्ट शाखाओं में और वहां से रिज़र्व बैंक में प्रेषित कर दें।

रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2015 में चयनित बैंक शाखाओं और रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में आम जनता के लिए 2005 से पहले के बैंकनोटों को बदलने के लिए अंतिम तिथि के रूप में 30 जून 2016 निर्धारण किया था। यह एक मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा है कि एक ही समय में संचलन में कई श्रृंखलाओं के नोट नहीं होने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसीलिए इन बैकनोटों को प्रचलन से वापस लेने में सहयोग के लिए जनता के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त कार्यालयों में 2005 के पहले के बैकनोटों को बदल लें। भारतीय रिजर्व बैंक प्रक्रिया की निगरानी और समीक्षा करना जारी रहेगा ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हों। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37373)

वित्तीय समावेशन और विकास

फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा

रिजर्व बैंक ने 30 जून 2016 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि फसल बीमा योजनाओं से संबंधित अपने रिकार्ड के प्रति एक्सेस पाने में संबंधित राज्यों में प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के कार्यालयों द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा दलों (टीम) की मदद करें।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अपनी फसल को हुई हानि झेलने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में फसल बीमा के प्रभाव की जांच करने हेतु कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा करेंगे। ऐसा प्रस्ताव है कि आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में संबंधित प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के कार्यालयों की सहायता से लेखा परीक्षा की जाए।

निष्पादन लेखा परीक्षा में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि., राज्य कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों के रिकार्डों की जांच का समावेश किया जाएगा। साथ ही, चूंकि विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों और सहकारी संस्थाओं की सहायता से फसल बीमा योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं इसलिए इन बैंकों/ बीमा कंपनियों/ सहकारी संस्थाओं के रिकार्डों की जांच करना आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि फसल बीमा योजनाओं को प्रभावी रूप से और लक्षित हिताधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यान्वित किया जाता है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10474Mode=0)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को एमएफआई द्वारा दिए गए ऋण की सीमा दोगुनी हुई

रिजर्व बैंक 28 जुलाई को 2016 अधिसूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा ऋण की सीमा को पहले की सीमा ₹ 15,000/- से ₹ 30,000/- तक बढ़ाया गया है बशर्ते ऋण की अवधि 24 महीने से कम न हो। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10530Mode=0)

सहकारी बैंककारी विनियमन

नियंत्रण कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकार जारी करना

रिजर्व बैंक ने 30 जून 2016 को यह निर्णय लिया कि लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने सीबीएस कार्यान्वयन किया है, वे अपने विवेक के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति के बगैर एक क्लस्टर में न्यूनतम 40 शाखाओं के लिए एक नियंत्रण कार्यालय खोल सकते हैं बशर्ते वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों :

- सीआरएआर 10 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- समग्र अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 7% से कम होनी चाहिए और निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बैंक को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से निवल लाभ अर्जित किया हुआ होना चाहिए तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों में कम से कम तीन वर्ष निवल लाभ अर्जित होना चाहिए।
- तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर को बनाए रखने में चूक नहीं होनी चाहिए।
- बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशक होने चाहिए तथा बैंक का सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।
- बैंक का विनियामक अनुपालन के संबंध में पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड (ट्रैक रिकार्ड) होना चाहिए तथा प्रस्तावित नियंत्रण कार्यालय खोलने के पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई अर्थिक दंड नहीं लगाया गया हो।

शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि नियंत्रण कार्यालय उसके परिचालन क्षेत्र (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है) में खोला जाए तथा इसमें कोई भी प्रत्यक्ष ग्राहक कारोबार/इंटरफ़ेस नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त पात्र शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि ऐसे कार्यालय खोलने के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दो सप्ताह के अंदर दी जाए ताकि लाइसेंस जारी किया जा सके। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10470Mode=0)

दीर्घावधि (अधीनस्थ) जमाराशियों की समीक्षा

समीक्षा करने पर, रिजर्व बैंक ने 7 जुलाई 2016 को सहकारी बैंकों द्वारा दीर्घावधि (अधीनस्थ) जमाओं को जुटाने और प्रतिदान के कुछ दिशा-निर्देशों में ढील दी और कुछ प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्धारित किया।

दीर्घावधि जमाराशि जुटाना:

सहकारी बैंकों जो अपने नवीनतम लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों, के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा कर रहे हैं रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना एलटीडी जुटा सकते हैं बशर्ते एलटीडी की बकाया राशि, जो टीयर II पूंजी के रूप में मानी जाने के पात्र है, टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित कि जाएगी।

i. सीआरएआर 10 प्रतिशत से कम नहीं 1 है :
ii. सकल एनपीए 7 प्रतिशत से कम और निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक नही;
iii. पिछले चार साल में से कम से कम तीन सकल लाभ बशर्ते बैंक को पूर्ववर्ती वर्ष में सकल कुल घाटा नही हुआ हो:
iv. पिछले वर्ष के दौरान सीआरआर / एसएलआर के रखरखाव में कोई चूक नहीं ;
v. बैंक के बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशक हो;
vi. कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पूरी तरह से लागू ;
vii. जब एलटीडी जारी किए जा रहे थे उस वर्ष से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई मौद्रिक जुर्माना न लगाया गया हो और बैंक का नियामक अनुपालन का ट्रैक रिकॉर्ड है।

एलटीडी का विमोचन/ चुकौती

सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना परिपक्वता पर एलटीडी का विमोचन कर सकते हैं बशर्ते बैंक एलटीडी के विमोचन के पश्चात रिजर्व द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से अधिक सीआरएआर बनाए रखें।

एलटीडी की क्रास होल्डिंग

सहकारी बैंकों को अन्य सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए एलटीडी में निवेश नहीं करना चाहिए। हालांकि, राज्य सहकारी बैंक उनसे संबद्ध डीसीसीबी द्वारा जारी एलटीडी में निवेश कर सकते हैं बशर्ते निवेश की गई राशि को एसटीसीबी के टीयर II पूंजी से कटौती की जानी चाहिए।

एलटीडी आवेदन / प्रास्पेक्टस / प्रस्ताव दस्तावेजों में अतिरिक्त खुलासे

एलटीडी जारी करने वाले सहकारी बैंकों को एलटीडी आवेदन / प्रास्पेक्टस / प्रस्ताव दस्तावेजों में कुछ खुलासे किए जाने की जरूरत है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10487Mode=0)

राज्य सहकारी बैंकों / केंद्र सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश

राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी / सीसीबी) को अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने 14 जुलाई 2016 को सूचित किया है कि एसटीसीबी / सीसीबी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर एसएलआर लिखतों में निवेश करना होगा :

प्रूडेंशियल सीमा - कुल गैर एसएलआर निवेश बैंक के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के रूप में कुल जमा राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

लिखत - एसटीसीबी / सीसीबी निम्नलिखित लिखतों में निवेश कर सकते हैं:

(क) 'ए' या समकक्ष और उच्च मूल्यांकित कमर्शियल पेपर्स (सीपी), डिबेंचर और बांड।

(ख) डेट म्युचुअल फंड और मनी मार्केट म्युचुअल फंड की इकाई।

(ग) बाजार बुनियादी ढांचा कंपनियों के शेयरों (एमआईसी), उदा. क्लियरिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड(सीसीआईएल), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई), सोसायटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर -बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन(स्विफ्ट)।

प्रतिबंध

(क) सदा ऋण लिखतों में निवेश की अनुमति नहीं है।

(ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) की इक्विटी में नए निवेश की अनुमति नहीं होगी। इन संस्थानों में मौजूदा शेयर होल्डिंग को तीन साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है और इस समय तक इस तरह के निवेश को बैंक की बही में रखा जाएगा, और इसे सीमा की गणना के प्रयोजन के लिए गैर एसएलआर निवेश के रूप में गिना जाएगा।

(ग) म्युचुअल फंड की यूनिटों,डेट म्यूचुअल फंड और मनी मार्केट म्युचुअल फंड की यूनिटों के अलावा अन्य में निवेश की अनुमति नहीं है। डेट/मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड के अलावा म्युचुअल फंड की यूनिटों में मौजूदा निवेश को विनिवेश किया जाना चाहिए। इस समय तक ऐसे अयोग्य निवेश को बैंक की बही में रखा जा रहा है और इसे सीमा की गणना के प्रयोजन के लिए गैर एसएलआर निवेश के रूप में गिना जाएगा। बैंक अपने जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे एक म्युचुअल फंड में से किसी एक योजना में आय से अधिक जोखिम नहीं करें।

(घ) ऊपर निर्धारित न्यूनतम रेटिंग के अधीन गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश

होगा और किसी भी समय में एक बैंक की कुल गैर एसएलआर निवेश का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जहां बैंकों ने पहले ही उक्त सीमा पार की है, ऐसी प्रतिभूतियों में आगे कोई निवेश नही किया जाएगा। गैर एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों (दोनों प्राथमिक और द्वितीयक बाजार) जहां स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति को सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है को निवेश करने के समय में सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश के रूप में माना जा सकता है। यदि इस तरह की प्रतिभूति निर्धारित अवधि के भीतर बाद में सूचीबद्ध नहीं है, तो इसे गैर-सूचीबद्ध गैर एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत सीमा की गणना के लिए गिना जाएगा। यदि गैर-सूचीबद्ध गैर एसएलआर प्रतिभूतियों के तहत निवेश में 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन होता है तो बैंक को गैर एसएलआर प्रतिभूतियों (दोनों प्राथमिक और द्वितीयक बाजार) में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस समय तक गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में उनके निवेश को 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर लाया जाएगा।

(ड.) ऊपर कहे अनुसार गहरी छूट में निवेश/जीरो कूपन बांड न्यूनतम रेटिंग और अवशिष्ट अवधि के लिए तुलनीय बाजार की आय के अधीन होगा। जीरो कूपन बांड में कोई निवेश नहीं किया जाएगा जब तक कि जारीकर्ता ने अर्जित सब ब्याज के लिए एक शोधन निधि बनायी हो और यह चलनिधि लिखतों/ प्रतिभूतियों(सरकारी बॉन्ड) में निवेश किया गया हो।

(च) गैर एसएलआर निवेश,डेट म्युचुअल फंड और मनी मार्केट म्युचुअल फंड की इकाइयों के अलावा, और सीपी, एक वर्ष से अधिक के मूल परिपक्वता के साथ लिखतों में किया जाएगा।

(छ) गैर-एसएलआर श्रेणी के अंतर्गत सभी नए निवेश को केवल वर्तमान श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा और निवेश की इन श्रेणियों के लिए लागू बाजार में चिह्नित किया जाएगा।

(ज) सभी गैर-एसएलआर निवेश एकल / समूह काउंटर पार्टी के प्रदर्शन के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अधीन किया जाएगा।

(झ) एसटीसीबी/सीसीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के अलावा) द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश कर सकते हैं जिन्हें छोटी अवधि के संसाधन जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एकछत्र सीमा के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है। सीडी में निवेश अंतर-बैंक जमाराशि के रूप में माना जाएगा और ऊपर निर्धारित गैर एसएलआर निवेश सीमा की गणना के लिए नही गिना जाएगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10505Mode=0)

पीएमजेजेबीवाई में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श के बाद 30 जून 2016 को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के नियमों में संशोधन किया है और 1 जून 2016 से पीएमजेजेबीवाई के नियमों में लियन खंड शामिल किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, मृत्यु संबंधी दावे जो नामांकन की तारीख के पहले 45 दिनों के दौरान आते हैं, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा जिसका अर्थ है कि सदस्य द्वारा इस योजना में नामांकन करने की तारीख से 45 दिन पूरे होने के बाद ही जोखिम कवर शुरू होगा। तथापि, घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में इस लियन खंड से छूट होगी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10469Mode=0)

मास्टर परिपत्र/निदेश

रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2016 में निम्नलिखित मास्टर निदेश/परिपत्र जारी किए

मास्टर निदेश/ परिपत्र	जारी होने की तारीख
मास्टर निदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण (https://www.rbi.org.in/ Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10523&Mode=0)	21 जुलाई 2016
आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने के प्रदर्शन के आधार पर मुद्रा वितरण एवं विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर निदेश (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=10520Mode=0)	20 जुलाई 2016
विलंबित रिपोर्टिंग/ गलत रिपोर्टिंग/करेंसी चेस्ट की रिपोर्टिंग न करने और करेंसी चेस्ट शेष में अयोग्य राशि के समावेश पर दंडात्मक ब्याज लगाने पर मास्टर निदेश (https://www.rbi.org.in/ Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10519Mode=0)	20 जुलाई 2016
मास्टर निदेश- आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने के प्रदर्शन के आधार पर बैंक शाखाओं को दंड की योजना (https://www.rbi.org.in/Scripts/ BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=10518)	20 जुलाई 2016
मास्टर परिपत्र - जाली नोटों का पता लगाना और जब्त करना (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=10517)	20 जुलाई 2016
मास्टर परिपत्र - नोटों और सिक्कों के विनिमय के लिए सुविधा (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=10516)	18 जुलाई 2016
मास्टर परिपत्र - भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों के जारी करने और परिचालन पर नीतिगत दिशानिर्देश (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=10510)	14 जुलाई 2016
मास्टर परिपत्र - भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश (https://www.rbi.org. in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=10509)	14 जुलाई 2016
मास्टर निदेश- भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) निदेश-2016 (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=10394)	12 जुलाई 2016
केवाईसी - केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए केवाईसी मानदंडों के परिचालन (एफपीआई) पर मास्टर निदेश में संशोधन (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=10498Mode=0)	8 जुलाई 2016
मास्टर परिपत्र दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) (https:// www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails. aspx?id=10494)	7 जुलाई 2016
मास्टर परिपत्र- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई - एनयूएलएम) (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails. aspx?id=10493)	7 जुलाई 2016
मास्टर परिपत्र- अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (अजजा)को ऋण सुविधा (https://www.rbi.org.in/ Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=10492)	7 जुलाई 2016
मास्टर परिपत्र-अल्पसंख्यक समूदायों को ऋण सुविधाएं (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCircu-lardetails.aspx?id=10491)	7 जुलाई 2016
मास्टर परिपत्र-स्वंयसहायता समूह-बैंक सहलग्नता पर (httEps://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=10490)	7 जुलाई 2016
मास्टर निदेश- शीर्ष बैंक योजना (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculard-e-tails.aspx?id=10488)	7 जुलाई 2016
मास्टर निदेश- वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections. aspx?id=10477)	1 जुलाई 2016
मास्टर निदेश-राहत/ बचत बांड (https:// www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections. aspx?id=10479)	1 जुलाई 2016
मास्टर निदेश प्राथमिक डीलरों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDi-rections.aspx?id=10476)	1 जुलाई 2016

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।